आरजेडी व कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार व परिवारवाद की राजनीति की- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने शुक्रवार को बिहार चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की

बिहार, 17 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस लूट और भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, जिन्होंने केवल परिवारवाद की राजनीति की तथा बिहार के गरीबों को लूटा है। इन लोगों ने सत्ता के अहंकार में जनता की सेवा करने के बजाय केवल अपनी तिजोरियां भरीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान एनडीए सरकार ने अपना हर वादा पूरा किया है तथा दिन-रात मेहनत कर विकसित और समृद्ध बिहार बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

शर्मा शुक्रवार को बिहार चुनाव के तहत, डुमरा हवाई फील्ड पर एनडीए के विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिथिला की पवित्र धरती पर जगत जननी मां जानकी का जन्म हुआ था। मिथिला की यह धरती केवल आस्था की भूमि नहीं है, बल्कि ज्ञान, कला, संस्कृति और संस्कारों की साक्षात् जननी है। शर्मा ने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में जंगलराज था। यह वह समय था, जब कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, अपराध अपने चरम पर था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को फिर से अपना खोया हुआ गौरव वापस दिलाने का काम किया है। आज बिहार में विकास की रोशनी दिख रही है। यहां कानून का राज स्थापित हुआ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बिहार में डुमरा हवाई फील्ड पर एनडीए के विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया।

- **भजनलाल शर्मा ने कहा कि अवैध घुसपैठिये बिहार में आकर आपके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले इसे उजागर नहीं होने देना चाहते।**

शर्मा ने कहा कि अवैध घुसपैठिए बिहार में आकर आपके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं तथा आपकी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले इसे उजागर नहीं होने देना चाहते।

मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि बिहार को विकास, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और समृद्धि में आगे बढ़ाने के लिए बाथनाहा से भाजपा प्रत्याशी अनिल कुमार राम, परिहार से गायत्री देवी, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू और सुरसंड से नागेन्द्र राउत को भारी मतों से विजयी बनायें।

गुजरात को मिला नया मंत्रिमण्डल

गांधीनगर, 17 अक्टूबर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने शुक्रवार को 19 विधायकों को मंत्रियों के तौर पर शामिल कर मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को उपमुख्यमंत्री बनाया। इसी के साथ पटेल, समेत मंत्रिपरिषद में शामिल कुल नेताओं की संख्या 26 हो गई है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए मंत्रियों के साथ-साथ उन नेताओं को

- **26 मंत्रियों ने शपथ ली। क्रिकेटर रवीन्द्र जडेजा की पत्नी को भी मंत्री बनाया गया है।**

भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और राज्य मंत्रियों से राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है। इसके साथ ही, कांग्रेस की गुजरात इकाई के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढ वाडिया ने राज्य कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। मोढ़ वाडिया अब भाजपा में शामिल हो गए हैं।

राज्य मंत्री के रूप में भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को शामिल किया जाना आश्चर्यजनक कदम है।

सूरत शहर के मुजारा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संघवी ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह अब तक गृह राज्य मंत्री थे। संघवी और भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले पिछले मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे पांच अन्य विधायक मंत्रिपरिषद में बने हुए हैं।

तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को अल्टीमेटम दिया

तेजस्वी ने दो टूक कहा, सिर्फ 15 सीटें ही मिलेंगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी सीट बंटवारे में बेहतर सौदे के लिए कड़ी बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सहनी ने 243 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में कम से कम 24 सीटों की माँग की है। सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वीआईपी को केवल लगभग 15 सीटें ही मिल सकती हैं।

अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन ने सहनी को यह साफ कर दिया है कि यही उनके लिए सबसे अच्छा सौदा है। यदि सहनी झुकते हैं, तो महागठबंधन सीट समझौते को अंतिम रूप दे सकता है। लेकिन अगर उन्होंने बगावत की और गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला किया, तो और राजनीतिक नाटक देखने को मिल सकता है।

राजद के सूत्रों के अनुसार, सहनी की कड़ी सौदेबाज़ी अब "टूटने की कगार" पर पहुँच गई है और तेजस्वी यादव ने उन्हें "अल्टीमेटम" दे दिया है। 2018 में स्थापित हुई विकासशील इंसान पार्टी का आधार बिहार के मछुआरा और नाविक समुदायों में है, और सहनी सीट शेयरिंग वार्ताओं के दौरान, अपनी सख्त सौदेबाज़ी के लिए जाने जाते हैं।

- **महागठबंधन के अतरंग सूत्रों के अनुसार, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी 24 सीटों के लिए कड़ी सौदेबाजी कर रहे थे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। अब अगर उन्होंने बगावत की तो बड़ा राजनैतिक ड्रामा देखने को मिल सकता है।**

2020 बिहार विधानसभा चुनाव में सहनी शुरू में महागठबंधन के साथ थे, लेकिन जब उन्हें उनकी मांगी हुई सीटें नहीं मिलीं, तो वे एनडीए में शामिल हो गए। एनडीए के साथ रहते हुए, वीआईपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा और चार सीटें जीतीं। बाद में एक विधायक की मृत्यु हो गई और बाकी तीन भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद सहनी ने एनडीए से नाता तोड़ लिया।

आगामी बिहार चुनावों की तैयारियों के दौरान, सहनी लगातार महागठबंधन नेतृत्व पर बेहतर सीट समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने जोर देकर कहा था कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है, तो वे उपमुख्यमंत्री बनना चाहेंगे।

जब उनसे यह पूछा गया कि सहयोगी दल उन्हें उपमुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं, तो सहनी ने कहा, "अगर कुछ लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो क्या बिहार बिना मुख्यमंत्री के चलेगा? अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं भी उपमुख्यमंत्री बन सकता हूँ। बहुमत यह तय करता है कि कौनसा पद किसके पास रहता है। भाजपा ने कहा है कि मैं एक अच्छा उपमुख्यमंत्री साबित हो सकता हूँ और अगर सबसे बड़ी पार्टी मेरी अहमियत को स्वीकार करती है, तो यह साबित करता है कि जिधर भी मुकेश सहनी जाते हैं, उसी पक्ष की सरकार बनती है।"

सहनी इससे पहले नीतीश कुमार सरकार में पशु पालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रह चुके हैं।

भाजपा-जदयू के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा के समर्थन से असंतुष्ट थी।

जेडीयू का मानना है कि भाजपा चिराग पासवान को जेडीयू के पारंपरिक गढ़ों में सीटें देकर उन्हें अनुचित रूप से बढ़ावा दे रही है। पार्टी के भीतर यह आशंका बढ़ रही है कि भाजपा शायद चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में भविष्य के दलित चेहरे- और संभवत: मुख्यमंत्री पद के दावेदार - के रूप में उभारना चाहती है, ताकि अपना सामाजिक आधार और मजबूत कर सके।

पर्यवेक्षकों के अनुसार, चिराग पासवान, जो बिहार के प्रभावशाली दलित समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, भाजपा को अनुसूचित जाति (एससी) के लगभग 19 प्रतिशत वोट बैंक को एकजुट करने में मदद कर सकते हैं, जो राज्य में रविदास समुदाय के बाद सबसे बड़ा समूह है।

एक युवा दलित नेता को आगे कर, भाजपा राज्य की जातीय समीकरणों को नया आकार देने की कोशिश कर सकती है, जहाँ नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब तक अति पिछड़े वर्गों (ईबीसी), महिलाओं और अल्पसंख्यकों के सामाजिक गठजोड़ पर आधारित रही है।

इस बीच, विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इस विवाद को तुरंत भुनाने की कोशिश की। वरिष्ठ राजद नेता शिवानंद तिवारी ने अमित शाह की टिप्पणी को एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगियों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि यह बयान भाजपा की अपने साथियों पर वर्चस्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को उजागर करता है।

तिवारी के अनुसार, शाह की टिप्पणी ने न केवल नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत को कमजोर किया, बल्कि महत्वपूर्ण चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन की आंतरिक दरारों को भी सामने ला दिया। जैसे-जैसे बिहार 6 और 11 नवंबर को होने वाले दो चरणों के मतदान की ओर बढ़ रहा है, एनडीए की यह आंतरिक बेचैनी विपक्ष के लिए नए अवसर पैदा करती दिख रही है।

फिलहाल भाजपा और जेडीयू दोनों ही दलों के नेता इस विवाद को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद पर निरंतरता अब निस्संदेह बिहार की राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बन चुकी है।

'जरुरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अकॉम्प्ली" स्थिति का सामना करना पड़ेगा कि या तो भाजपा के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करें, या फिर अपनी पार्टी के टूटने का खतरा उठाने के लिये तैयार रहें, जैसा कि भाजपा ने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में किया था। जेडीयू में पहले से ही भाजपा समर्थकों की घुसपैठ मानी जा रही है।

हालाँकि नीतीश कुमार अब स्वास्थ्य एवं राजनैतिक प्रभाव के शीर्ष पर नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीतिक चालें और अंतिम क्षणों में खेल पलटने की क्षमता सर्वविदित है। इसलिए, इस समय नीतीश कुमार के राजनीतिक अन्त की घोषणा करना जल्दबाजी और नासमझी होगी।

गृह मंत्रालय ने लेह हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। केन्द्र सरकार ने 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की जांच के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बी. एस. चौहान को नियुक्त किया है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि उस दिन कानून और व्यवस्था की गम्भीर स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, पुलिस ने कैसे कार्रवाई की, और उस दौरान चार लोगों की मौत कैसे हुई। सरकारी बयान के अनुसार, 24 सितंबर को लेह शहर में कानून-व्यवस्था की गम्भीर समस्या पैदा हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कार्रवाई हुई और चार लोग मारे गए।

- **सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएस चौहान 24 सितम्बर को लेह में हुई हिंसा के कारणों की जांच करेंगे।**

मंत्रालय ने कहा, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने आज न्यायिक जांच की घोषणा की है, जिसे पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज डॉ. बी. एस. चौहान करेंगे। यह जांच उन परिस्थितियों की पड़ताल करेगी, जिनके कारण कानून और व्यवस्था की गम्भीर समस्या पैदा हुई, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, और चार व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई।

सरकार ने यह भी कहा कि वह किसी भी समय संवाद के लिए तैयार है और आगे भी उच्च स्तरीय समिति या किसी अन्य प्लेटफार्म के माध्यम से एपेक्स बॉडी लेह (एबीएल) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ बातचीत का स्वागत करती रहेगी। सरकार ने भरोसा जताया कि लगातार बातचीत से जल्दी ही सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे और वह लेह के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है।

मेहुल चोकसी का भारत प्रत्यर्पण होगा

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। भारत के सबसे चर्चित आर्थिक भगोड़ों में से एक मेहुल चोकसी के खिलाफ बेल्जियम की अदालत से बड़ी खबर आई है। एंटवर्प कोर्ट ने चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अदालत ने साफ कहा कि भारतीय एजेंसियों की मांग वैध है और बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी कानूनी रूप से सही थी। इस फैसले के साथ भारत की एजेंसियों सीबीआई और ईडी को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है।

- **सीबीआई की दलीलों के बाद एंटवर्प कोर्ट ने मेहुल के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी।**

भारत ने चोकसी के खिलाफ मजबूत केस पेश करते हुए उसे 13,850 करोड़ रुपए केपंजाबनेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी बताया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि चोकसी ने पीएनबी के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर विदेशी बैंकों से बिना सिक्योरिटी के लोन हासिल किए और पैसा शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर मनी लॉन्डरिंग की।

भारत ने उस पर धोखाधड़ी, साजिश, सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। की धाराएं 120, 201, 409, 420, 477 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 7 और 13 उसके खिलाफ लगाई गई हैं। अदालत ने माना कि ये अपराध बेल्जियम कानून में भी दंडनीय हैं।

स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके 1ए ने भरी पहली उड़ान

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसके लिए बधाई दी

नासिक, 17 अक्टूबर। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए ने आज अपनी पहली उड़ान भरी। हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिविजन में यह उड़ान हुई। भारत में लड़ाकू विमान निर्माण की दिशा में यह अहम पल है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजनाथ सिंह आज एलसीए एमके1ए की तीसरी प्रोडक्शन लाइन और साथ ही एचटीटी-40 एयरक्राफ्ट की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे।

इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज एचएएल की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन हो रहा है, जो एलसीए एमके1ए तेजस बनाती है,

- **हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक शाखा में आयोजित कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा "मेरा सीना" गर्व से चौड़ा हो गया।**

और एचटीटी 40 विमान की दूसरी उत्पादन लाइन है। मैं एचएएल में सभी को बधाई देता हूं। जब मैंने आज सुखोई एसयू-30, एलसीए तेजस और एचटीटी -40 को उड़ान भरते देखा, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये उड़ान, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मिसाल है। एचएएल ने भारत के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम किया है।

राजनाथ सिंह ने कहा, एक समय था, जब देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था और लगभग 65-70 प्रतिशत रक्षा उपकरण आयात किए जाते थे लेकिन आज, यह स्थिति बदल गई है। अब भारत 65 प्रतिशत विनिर्माण अपनी धरती पर कर रहा है। बहुत जल्द, हम अपने घरेलू विनिर्माण को भी 100 प्रतिशत तक ले जाएंगे।

तेजस एमके1ए को वायुसेना में शामिल करने की तारीखों का एलान नहीं हुआ है, लेकिन एचएएल का कहना है कि आने वाले चार वर्षों में भारतीय वायुसेना को 83 तेजस मार्क1ए लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जाएगी। अमेरिकी इंजन की आपूर्ति में देरी की वजह से पहले ही देरी हो रही है।

सबरीमाला स्वर्ण चोरी में बड़ा खुलासा

कोच्चि, 17 अक्टूबर। केरल के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर सबरीमाला में सोना चोरी मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सोना चोरी होने मामले की जांच कर रही टीम ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मंदिर के एक सहायक ने द्वारपालक की मूर्तियों से लगभग दो किलो सोने का गबन किया गया। एसआईटी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी ने 2019 में द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का खर्चा उठाने के बाद उनसे लगभग दो किलोग्राम सोना चोरी किया। वहीं शुक्रवार कोसबरीमाला द्वारपालका मूर्ति पर सोने की परत को तंत्री कंडारारू महेश मोहनारू की देखरेख में फिर से स्थापित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, 2004 से 2008 के बीच सबरीमाला मंदिर के पुजारी के सहायक के रूप में काम करने वाले उन्नीकृष्णन पोट्टी को 1998 में पता था कि द्वारपालक की मूर्तियों की तांबे की प्लेटें सोने से मढ़ी हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पोट्टी ने इस जानकारी का इस्तेमाल धोखाधड़ी और आर्थिक लाभ कमाने के इरादे से किया, जिससे त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को नुकसान हुआ।

ट्रंप एक बार फिर यूक्रेन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ट्रंप अब यूक्रेन में शांति स्थापित करने के अपने प्रयासों को लेकर और अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं।

हालांकि शुरू में ट्रंप भी यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर सख्त बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अलास्का शिखर सम्मेलन की असफलता के बाद उनका रवैया काफी बदल गया, जब यह स्पष्ट हुआ कि पुतिन युद्ध खत्म करने के प्रति गंभीर नहीं हैं। ट्रंप ने तब रूस पर और प्रतिबंध लगाने की बात कही थी।

लेकिन जैसे-जैसे पुतिन ने यूक्रेन के नागरिक इलाकों पर हमले बढ़ाए, अमेरिका की नीति रक्षात्मक से आक्रामक हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां तक कहा कि रूस के अंदर गहराई तक हमले करने के लिए ज़ैलेंस्की को उनके अपने "सपनों के हथियार" दिए जा सकते हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन को "टोमहॉक" मिसाइलें देने की बात कही थी, ताकि वे रूस के ठिकानों पर हमला कर सकें। इससे एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई और रूस ने इस धमकी को बहुत गंभीरता से लिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि टोमहॉक मिसाइलें सौंपना अमेरिका के साथ सीधा टकराव होगा।

अमेरिका का दृष्टिकोण भी अब काफी बदल गया है। अलास्का सम्मेलन के समय अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के तेल और ऊर्जा ढांचे पर हमला न करने की सलाह दी थी, लेकिन जब पुतिन ने पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए, तो अमेरिका ने यूक्रेन को इन ढांचों पर हमले की अनुमति दे दी।

अगर यूक्रेन को टोमहॉक मिसाइलें मिल जाती हैं, तो वह रूस को भारी नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे पहले से कमजोर रूसी अर्थव्यवस्था और बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि रूस टोमहॉक मिसाइलों के यूक्रेन पहुँचने को लेकर बेहद चिंतित है। गाज़ा की तरह ही, अमेरिका अब भी ऐसी रणनीति अपना रहा है, जिसमें रूस पर भारी दबाव डाला जाए, ताकि वह बातचीत की मेज़ पर आए, लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल न हो।

'क्या सरकारी दबाव में जस्टिस श्रीधरन का बार-बार तबादला हो रहा है'

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह लगाया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। उच्च न्यायालय के अत्यंत सम्मानित न्यायाधीश जस्टिस अतुल श्रीधरन के लगातार तबादलों ने देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता और केन्द्र सरकार की न्यायपालिका को अपने अनुकूल झुकाने की कोशिश पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हाल के महीनों में जस्टिस श्रीधरन के एक के बाद एक तबादलों ने सत्ता में बैठे लोगों और सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम, जो अकेला तबादले का अधिकार रखता है, दोनों से जवाबदेही की मांग खड़ी कर दी हैं।

स्वतंत्र और निष्पक्ष विचारों के लिए जाने जाने वाले जस्टिस श्रीधरन को पिछले सात महीनों में तीन बार एक हाई कोर्ट से दूसरे में स्थानांतरित किया गया है। हालांकि इनमें से केवल एक तबादला ही अब तक हुआ है, जबकि दूसरा जल्द ही लागू होने वाला है।

मार्च में उन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से वापस उनके मूल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेजा गया था (तकनीकी रूप से अपने मूल न्यायालय में वापसी को "तबादला" नहीं माना जाता)।

तबादलों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम लेता है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक शक्तिशाली परंतु अपारदर्शी निकाय है। कोलीजियम उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों और तबादलों की सिफारिश करता है। सरकार उसके किसी निर्णय पर "पुनर्विचार" का अनुरोध कर सकती है, पर अंतिम निर्णय कोलीजियम का ही होता है। अगस्त में, जस्टिस श्रीधरन को फिर से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश हुई। लेकिन इसके लागू होने से पहले ही सरकार ने आदेश रोक दिया।

फिर 15 अक्टूबर को एक नया मोड़ आया, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि श्रीधरन अब छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार ने कोलेजियम से पुनर्विचार का अनुरोध किया था। आधिकारिक नोट में कहा गया:

सरकार के अनुरोध पर पुनर्विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने निर्णय लिया है कि "माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन, न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थान पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की जाती है।"

बार के वरिष्ठ सदस्यों ने फैसले की कड़ी आलोचना क्योंकि वे श्रीधरन के साथ हुए व्यवहार से गहराई से व्यथित थे, उन्होंने कहा, "न्यायपालिका और उसके सभी स्तरों पर न्यायाधीशों की रक्षा करने के बजाय, मुख्य न्यायाधीश और कोलीजियम के सदस्यों ने कार्यपालिका को हावी होने दिया है।"

यह बदलाव सिर्फ स्थान का नहीं, प्रभाव का भी मसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्रीधरन सीनियरिटी में सातवें स्थान पर रहेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ में वे तीसरे नंबर पर होते, जिससे उन्हें हाई कोर्ट कोलीजियम में जगह मिलती और न्यायिक नियुक्तियों में प्रभाव डालने का अवसर प्राप्त होता।

- **जस्टिस अतुल श्रीधरन, जो अपनी निष्पक्षता व निर्भीकता के लिए जाने जाते हैं, का गत 7 माह में तीन बार तबादला हो चुका है और हमेशा जैसे ही वे किसी हाई कोर्ट की वरिष्ठता सूची में ऊपर आते हैं, उनका तबादला ऐसे राज्य में कर दिया जाता है, जहाँ वरिष्ठता सूची में उनका नाम काफी नीचे होता हैं।**
- **वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने सरकार के आग्रह पर श्रीधरन का तबादला करके सरकार को "अपरहैंड" दे दिया है।**

श्रीधरन की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की प्रतिष्ठा पुरानी है। उन्होंने पहले मध्य प्रदेश से स्थानांतरण का स्वयं अनुरोध किया था, क्योंकि उनकी बेटी वहीं वकालत करने लगी थीं, जिससे उनके न्यायिक आचरण की मर्यादा और सिद्धांतप्रियता झलकती है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अपने कार्यकाल के दौरान वे यूएपीए और निवारक हिरासत के मामलों में सख्त, लेकिन निष्पक्ष दृष्टिकोण के लिए जाने गए।

13 मार्च को उनका तबादला ठीक उस समय किया गया, जब जम्मू-कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश ताशी रब्स्तान 9 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे, क्योंकि उस समय श्रीधरन जम्मू-कश्मीर के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश थे।

मध्य प्रदेश लौटने के बाद भी उन्होंने जवाबदेही पर जोर दिया और शक्तिशाली व्यक्तियों के खिलाफ भी निर्णय लेने से नहीं हिचकिचाए। विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला मामला था, राज्य के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह के खिलाफ, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी, एक सम्मानित सैन्य अधिकारी, पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।

श्रीधरन और एक अन्य न्यायाधीश ने पुलिस को विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश देते समय उन्होंने कहा:

"उनकी टिप्पणियाँ खतरनाक हैं, क्योंकि अब ये देश की सशस्त्र सेनाओं तक पहुँचने लगी हैं।"

बाद में विजय शाह ने अपने बयान को "भाषाई गलती" बताया और सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए इसे शर्मनाक भाषा बताया और हाई कोर्ट को मामला बंद करने का निर्देश दिया।

मध्य प्रदेश में वापसी के बाद, श्रीधरन सीनियरिटी में चौथे स्थान पर थे, जिससे वे हाई कोर्ट कोलीजियम के सदस्य बनने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन कुछ महीनों में ही बदलाव हुआ।

मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत सेवानिवृत्त हुए, अलोक अराधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए और शील नागू पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए।

इन परिवर्तनों के कारण श्रीधरन फिर से कोलीजियम में प्रभावशाली स्थिति में पहुँच सकते थे, परंतु इस ताज़ा तबादले ने उनके उभार को रोक दिया और उनके प्रभाव को सीमित कर दिया।

जस्टिस श्रीधरन अकेले नहीं हैं, जिनका करियर सरकार से असहमति के बाद ठहर गया।

जस्टिस अकील कुरैशी, जो देश के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक थे, को त्रिपुरा हाई कोर्ट भेजा गया, क्योंकि सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनने से रोक दिया था।

उन्होंने बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अल्प कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्ति ली।

इसी तरह, जस्टिस एस. मुरलीधर, जब ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तब उन्हें मद्रास भेजने का आदेश हुआ था, लेकिन सरकार ने महीनों तक आदेश को रोके रखा, अंतत: कोलीजियम ने ही उसे वापस ले लिया।

न्यायाधीश बनने से पहले, श्रीधरन एक प्रतिष्ठित वकील थे, उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के जूनियर के रूप में करियर की शुरुआत की और बाद में मध्य प्रदेश में अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जहाँ उनके माता-पिता रहते थे। वर्षों में उन्होंने खुद को ईमानदार, अनुशासित और निर्भीक न्यायाधीश के रूप में स्थापित किया।

उनके बार-बार तबादलों के दूरगामी परिणामों ने कानूनी समुदाय को चिंतित कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने चेतावनी दी, कोलीजियम ने अपनी और पूरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता कर लिया है और उन्होंने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह स्थिति स्वतंत्र न्यायपालिका के अंत की शुरुआत साबित हो सकती है।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908